न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला उदयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलाशचन्द मीना RAS

प्रकरण संख्याः— 02/2016 दायर दिनांक :— 25.07.2016

1. रूपीबाई पत्नी स्व. मिठुलाल शर्मा (औदिच्य), निवासी लसाडिया, जिला—उदयपुर।

—:अपीलाण्ट

—: बनाम :—

1. माधुलाल पिता मिठुलाल ब्राह्मण, निवासी— लसाडिया, जिला—उदयपुर।
2. लक्ष्मीनारायण पिता मिठुलाल ब्राह्मण, निवासी— लसाडिया, जिला—उदयपुर।
3. बंशीलाल पिता मिठुलाल ब्राह्मण, निवासी— लसाडिया, जिला—उदयपुर।
4. वेणीलाल पिता मिठुलाल ब्राह्मण, निवासी— लसाडिया, जिला—उदयपुर।
5. मांगीबाई पिता मिठुलाल ब्राह्मण पत्नी स्व. शंकरलाल ब्राह्मण निवासी अणिन्दा, तह—वल्लभनगर।
6. लाली पिता मिठुलाल ब्राह्मण पत्नी पन्नालाल ब्राह्मण, निवासी— वीरपुरा तह— सराडा, उदयपुर।
7. सुमित्रा पिता मिठुलाल ब्राह्मण पत्नी कमलकान्त ब्राह्मण, निवासी—वीरपुरा तह— सराडा, उदयपुर।
8. ग्राम पंचायत जरिये सचिव ग्राम पंचायत लसाडिया, जिला उदयपुर।

—:रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 2794
ग्राम पंचायत लसाडिया निर्णय दिनांक 21.01.2006

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>निर्णय दिनांक :—06.01.2017</u>

अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा इस आशय की अपील प्रस्तुत की है कि ग्राम लसाडिया, तहसील लसाडिया नामान्तरण संख्या 2794 ग्राम पंचायत निर्णय दिनांक 21.01.2006 द्वारा ख.न. 2545/1 रकबा 01 बिस्वा व 3582/34 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा का उत्तराधिकार नामान्तरकरण अपीलार्थी व रेस्पोडण्ट 1 से 7 के पक्ष में स्वीकृत किया गया है। जबकि ख.नं. 2545/1 अपीलार्थी ने अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति से मकान बनाना बताया है। तथा वसीयत अपीलार्थी के पक्ष में की हुई है। अतः ख.नं. 2545/1 रकबा 01 बिस्वा से सम्बंधित निर्णय निरस्त कर वसीयत के आधार पर अपीलार्थी के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये रेस्पोडेण्ट ने जबाब में अंकित किया कि उक्त खसरा नम्बर पर अपीलार्थी व रेस्पोडेण्ट का कब्जा है। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत फर्जी है। अतः अपील निरस्त फरमावें।

उभय पक्ष की मौखिक बहस सुनी गई व रेस्पोडेण्ट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज पर विचार किया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तहसीलदार लसाडिया को प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि ग्राम लसाडिया ख. नं. 2545/1 रकबा 01 बिस्वा से सम्बंधित वसीयत के आधार पर जांच कर निर्णय पारित कर राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद करावें।

आज दिनांक 06.01.2017 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(के.सी.मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी
लसाडिया, जिला–उदयपुर (राज.)

न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया जिला–उदयपुर (राज.)
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official